कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

मुख्य कार्यालय– साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक, कोरबा(छ.ग.)

फोन नं. 07759–221288 फैक्स नं. 07759–221929 पो.बाक्स नं.–12 पिन कोड–495677

Website: www.korbamunicipal.in, korba.urbanecg.gov.in Email : corporationkorba@gmail.com

फा.क्र. / प्र.मं.आ.यो / 2023 — कोरबा, दिनांक 11.05.2023

/ / सूचना / /

"मोर मकान–मोर आस" योजना अंतर्गत निर्मित कार्पोरेशन साईट एवं लाटा–पुष्पपल्लव में उपलब्ध आवासीय फ्लैट्स के आबंटन हेतु विज्ञापन जारी किया जाता हैं। विवरण निम्नानुसार हैं :–

स्थल का नाम	तल का विवरण	फ्लैट्स की संख्या	कारपेट एरिया (वर्ग फीट में)	अनुमानित मूल्य (लाख में)
कार्पोरेशन	भू–तल	19	325	3.25
	प्रथम तल	28	325	3.25
	द्वितीय तल	28	325	3.25
	तृतीय तल	28	325	3.25
कुल योग		103		
लाटा–पुष्पपल्लव	भू–तल	3	325	3.25
	प्रथम तल	2	325	3.25
	द्वितीय तल	2	325	3.25
	तृतीय तल	3	325	3.25
कुल योग		10		
महायोग		113		

संपूर्ण रूप से भरे गये आवेदन पत्रों को नगर पालिक निगम, कोरबा कार्यालय में जमा कराये जाने की अंतिम तिथि दिनांक 31.05.2023 सायं 05 बजे तक बढ़ायी जाती है।

पंजीयन के उपरांत पात्र/अपात्र आवेदकों की सूची कार्यालय के सूचना पटल पर दिनांक 10.06.2023 को प्रदर्शित कर दिनांक 25.06.2023 को लॉटरी के माध्यम से आवासों का आबंटन किया जावेगा।

पात्रता की शर्तें :–

1. निकाय क्षेत्र में दिनांक 31.08.2015 से पूर्व निवासरत् हो।(मतदाता सूची/किरायानामा/ निवास प्रमाण–पत्र/ अन्य शासकीय दस्तावेज/वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम)
2. पूरे परिवार (पति, पत्नी एवं अवयस्क बच्चे) की आय राशि रू. 3.00 लाख से कम हो। (नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाण–पत्र/राशन कार्ड/सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र)
3. देश में किसी भी स्थान पर पक्का आवास न हो। (हितग्राही का शपथ–पत्र (नोटरी से सत्यापित)/पीएमएवाय के एमआईएस पोर्टल में तथा सीएलएसएस पोर्टल से भी पुष्टि की जावे।)
4. प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। (मूल निवासी प्रमाण–पत्र/जन्म प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र/वंशावली (तहसीलदार/राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र))
5. आवेदक को आवेदन पत्र हेतु राशि रू. 100/– का शुल्क जमा करने उपरांत फार्म प्रदान किया जावेगा।
6. हितग्रहियों को आवास आबंटन हेतु उल्लेखित पात्रता (क्र. 01 से 04) की शर्तों का पालन प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। यदि इन शर्तों के पालन उपरान्त निकायों द्वारा 'मोर मकान–मोर आस' हेतु निकाले गए विज्ञापन के विरूद्ध प्राप्त आवेदनों में पात्र हितग्राहियों की संख्या विज्ञापित आवासों से कम पायी जाती है, तो शेष आवासों का आबंटन भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र क्र. N-11011/111/2019-HFA-IV-UD (FTS-9081341) दिनांक 21.01.2021 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास मिशन (शहरी) हेतु जारी दिशा–निर्देश के अनुसार पात्र हितग्राहियों को किया जावेगा।

नोट :– 01. जिन हितग्राहियों ने पूर्व में आवेदन किया है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता है।
02. आवेदन पत्र में स्थल का नाम अंकित करना अनिवार्य है।

नोडल अधिकारी
(प्र.मं.आ.यो.)
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छ.ग.)

प्र.आ.यो – 676

Scanned with OKEN Scanner